छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०)

डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 2653/2021

नारद ताम्रकार पिता स्व. श्री मोहर साय ताम्रकर, उम्र 40 वर्ष
निवासी आई.बी. रेस्ट हाउस के पास, जांजगीर,
पुलिस स्टेशन एवं तहसील जांजगीर
जिला– जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ ----------------**याचिकाकर्ता**

//विरूद्ध//

1. छत्तीसगढ़ शासन
द्वारा सचिव, गृह विभाग/पुलिस, महानदी भवन, मंत्रालय,
पुलिस थाना एवं पोस्ट, राखी, अटल नगर, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक ऑफिस, बिलासपुर रेंज,
नेहरू चौक के पास, जिला– बिलासपुर छत्तीसगढ़
3. पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक ऑफिस, जांजगीर चांपा,
जिला– जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ ------------**उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से– श्री अभिषेक पाण्डेय, अधिवक्ता
साथ में सुश्री दीपिका सन्नत, अधिवक्ता ।
उत्तरवादीगण/राज्य द्वारा– सुश्री सुनीता जैन, जी.ए. ।

माननीय श्री न्यायमुर्ति पी. सैम कोशी

//आदेश//

21/06/2021

1– याचिकाकर्ता की ओर से यह याचिका उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय जांच के आदेश से व्यथित होकर पेश की गई है ।

2– वर्तमान याचिका का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण के विभाग में कांस्टेबल(ट्रेड) के रूप में काम करता है। याचिकाकर्ता के विरूद्ध दिनांक 16.03.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 (बी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। उक्त अपराध से संबंधित सम्पूर्ण अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं विचारण न्यायालय में लंबित है । अब विभाग के द्वारा दिनांक 05–03–2021 (अनुलग्नक पी/3) का आरोप पत्र जारी किया गया है ।

3– याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क पेश किया है कि आरोप–पत्र की विषय–वस्तु और एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप की विषय–वस्तु एक जैसी है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आपराधिक मामले एवं विभागीय जांच कार्यवाही में उल्लेखित गवाहों की सूची की ओर आकर्षित किया और तर्क पेश किया कि दोनों कार्यवाहियों के समक्ष मुख्य गवाह भी एक ही है । याचिकाकर्ता के अनुसार, चुंकि विभागीय जांच एवं आपराधिक मामलों में जिन गवाहों से पूछताछ की जानी है वे एक ही है और यदि आपराधिक मामले में साक्ष्य दर्ज किये जाने से पहले विभागीय जांच में उनके बयान दर्ज किये जाते हैं तो आपराधिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का बचाव ही उजागर हो जायेगा और याचिकाकर्ता के आपराधिक प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और याचिकाकर्ता के हितों का नुकसान हो सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आपराधिक मामले के लंबित रहने तक विभागीय जांच पर रोक लगाने की याचना की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 8018/2018 दिनांक 05.12.2018 और डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 5252/2020 दिनांक 14.12.2020 में पारित कुछ आदेशों पर विश्वास व्यक्त किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4– उत्तरवादीगण की ओर से राज्य के अधिवक्ता ने विरोध में तर्क पेश किया है । आरोपों की प्रकृति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए

आरोप काफी गंभीर हैं और सेवा नियमों के तहत कदाचार के दायरे में आते हैं इसलिए आपराधिक मामले के लंबित रहने के बावजूद अनुशासनात्मक कार्यवाही भी साथ–साथ चलेगी । राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, दो कार्यवाही के एक साथ चलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और रोक लगाया जाना उचित नहीं है। सभी मामले तथ्यों पर निर्भर होते हैं और इस तरह पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए कोई सीधा–सादा फॉर्मूला नहीं हो सकता। राज्य के अधिवक्ता ने "डिवीजनल कंट्रोलर, कर्नाटक" के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम एम.जी. विट्ठल राव" 2012(1) एस.सी.सी. 442 में अपने तर्क का समर्थन किया।

5– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, जो अब तक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विभागीय जांच के तहत और आपराधिक मुकदमे के तहत दो कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए कोई विधिक रूकावट नहीं है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार इस तथ्य को दोहराया है कि भले ही कोई विधिक रूकावट नहीं है, लेकिन दोनों कार्यवाहियों में तथ्यों के प्रश्न और साक्ष्य की प्रकृति समान है जो कि अनावश्यक रूप से आगे की जटिलताओं से बचने के लिए, विभागीय जांच को आपराधिक मुकदमे के निष्कर्ष तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6– इस मामले में, यदि हम आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों और अनुशासनात्मक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करें, तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा कि आरोप वही हैं जो आपराधिक मामले में भी लगाए गए हैं। रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों, विशेष रूप से एफआईआर और विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाहों की सूची और विभागीय जांच के लिए विभागीय आरोप–पत्र के साथ संलग्न गवाहों की सूची का अवलोकन करने से पता चलता है कि दोनों कार्यवाहियों में अधिकांश गवाह समान हैं।

7– कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड के मामले में भी यही स्थिति थी। माइंस लिमिटेड और अन्य 1999 3 एसएससी 679 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कुछ दिशा–निर्देश दिए गये थे और जहां यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि यदि मामले में विधि और तथ्यों का जटिल प्रश्न शामिल है, यदि साक्ष्य समान हैं व समान नहीं हैं, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोकना वांछनीय होगा। तत्काल संदर्भ के लिए उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 22 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"22. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) यद्यपि अलग–अलग विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले में कार्यवाही एक साथ चल सकती है क्योंकि उनके एक साथ संचालित होने पर कोई रोक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित है और अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, तो आपराधिक मामले के निराकरण तक विभागीय कार्यवाही को रोकना वांछनीय होगा।

(iii) क्या किसी आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या उस मामले में तथ्य और विधि के जटिल प्रश्न शामिल हैं, यह अपराध की प्रकृति, जांच के दौरान कर्मचारी के खिलाफ एकत्र साक्ष्य और सामग्री के आधार पर या आरोप पत्र में दर्शाए गए आधार पर उसके खिलाफ शुरू किए गए मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

(iv) विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ऊपर (ii) और (iii) में उल्लिखित कारकों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य पर उचित

ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही में अनुचित रूप से देरी नहीं की जा सकती है।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ता है या उसके निपटारे में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है, तो विभागीय कार्यवाही, भले ही वह आपराधिक मामले के लंबित रहने के कारण रुकी हुई हो, पुनः शुरू की जा सकती है और उसे शीघ्र समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि यदि कर्मचारी दोषी न पाया जाए तो उसके सम्मान की रक्षा हो सके और यदि वह दोषी पाया जाता है तो प्रशासन उसे शीघ्रातिशीघ्र हटा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टैनजेन टोयोटेत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम गिरीश बनाम अन्य (2014) 3 एससीसी 636 के मामले में भी यह दृष्टिकोण अपनाया है, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी भरोसा किया है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम के मामले में फिर से दोहराया गया है। नीलम नाग और अन्य 2016 9 एसएससी 491 में भी रिपोर्टेड है कि इन सभी मामलों में, आरोपों और गवाहों की प्रकृति समान रहने की स्थिति में विभागीय जांच पर रोक लगाने के लिए विधि के सिद्धांत को कमजोर नहीं किया गया है। न्यायालयों ने बहुत जोर देकर माना है कि विभागीय जांच पर रोक लगाने के लिए कोई सीधा–सादा फॉर्मूला नहीं हो सकता है, यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

9– इस न्यायालय ने भी इसी तरह की एक वर्तमान रिट याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अविनाश सदाशिव भोसले (मृत्यु) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2012) 13 एससीसी 142 के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें समान तथ्यों और मुद्दों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि विभागीय कार्यवाही, आपराधिक मुकदमे के साथ–साथ चल सकती है, सिवाय इसके कि जहां दोनों कार्यवाही समान तथ्यों पर आधारित हों और पिछले मामले में साक्ष्य समान हों। विधि के

उक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम नीलम नाग और अन्य 2016 9 एसएससी 491 के मामले में व कई अन्य निर्णयों में उल्लेखित किया है।

10– यह तथ्य जिसे ध्यान या इस समय विचार करने की आवश्यकता है, वह है विभागीय जांच में विभाग द्वारा उद्धृत गवाहों और आपराधिक मामले के गवाहों की सूची, वर्तमान मामले में दोनों का अवलोकन करने से पता चलता है कि गवाहों और साक्ष्यों की सूची समान है और आपराधिक मामले में आरोपों की प्रकृति और आरोप–पत्र में भी समान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शशि भूषण प्रसाद बनाम सी.आई.एस.एफ. के महानिरीक्षक के मामले में सी.ए. नंबर 7130/2009 आदेश दिनांक 01.08.2019 में स्पष्ट रूप से माना है कि दोनों कार्यवाहियां एक साथ चल सकती हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां गवाह और साक्ष्य एक ही हों, जो कि इस मामले में एक ही प्रतीत होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11– अतः, उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में, यह न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान मामले में भी, पिछले पैराग्राफों में संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दोनों कार्यवाहियों में गवाह समान हो या समान न हो, न्याय के हित में यह अधिक उपयुक्त होगा कि विभागीय जांच में साक्ष्यों को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उन गवाहों के आपराधिक मामले में साक्ष्य या गवाहों की जांच नहीं हो जाती, जिनका उल्लेख विभागीय जांच में किया गया है, जिसमें स्वयं अपराधिक मामले के बयान को दर्ज करना शामिल है, जिसे आपराधिक मामले में विभाग की ओर से साक्ष्य पूरा होने से पहले विभागीय जांच में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

12– मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा वर्तमान न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान रिट याचिका पर विचार किया जाए, तो यह

पता चलेगा कि विभागीय आरोप–पत्र में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, यदि सभी नहीं तो अधिकांश गवाह वही होंगे जो आपराधिक न्यायालय में भी गवाह हैं।

13– इन परिस्थितियों में, यदि गवाहों को आपराधिक न्यायालय में जांच से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। चूंकि अधिकांश गवाहों को आपराधिक न्यायालय में जांच से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच की अनुमति दी जाती है, इसलिए याचिकाकर्ता के साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। दोनों कार्यवाहियों में समान गवाहों के बयान दर्ज किए जाने से पहले विभागीय जांच में उनकी जांच की जाती है, तो निस्संदेह वर्तमान याचिकाकर्ता (आपराधिक मामले में अभियुक्त) का बचाव उजागर हो जाएगा और आपराधिक मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो अपराधी (याचिकाकर्ता) के हित के लिए हानिकारक हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14– उपरोक्त सभी कारणों से, यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ता से विचार कर रहा है कि इस समय रिट याचिका का निराकरण उत्तरवादी–अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक विभागीय जांच के सभी गवाहों, जो आपराधिक मामले में भी गवाह हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष जांच नहीं हो जाती और उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।

15– उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा उसका निराकरण किया जाता है।

सही/–
(पी.सैम कोशी)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur